

[Mr. Speaker]

speak and at the end the Minister replies. This is a miniature motion or discussion. In call attention, after the Minister's statement, the member who has his name on the list is allowed to ask a question. But this cross-examination, counter-retort etc. is not in good taste. The Minister's reply may not be to his liking, taste or wishes.

SHRI JYOTIRMOY BASU ; This is a very serious matter.

SHRI S. M. BANERJEE : You allow the adjournment motion then. We have tabled it.

MR. SPEAKER : After all this discussion, why does he still want an adjournment motion ?

SHRI S. M. BANERJEE : Why not ?

If an MP dies, there is a hell of trouble ; if a Minister dies, there is hell of a trouble. Are not gangmen equally human beings ? If they are not Speaker or Minister, they are all the same human beings.

MR. SPEAKER : What is this ? What has gone wrong with him today ? He is a senior member. Why does he lose his temper ?

श्री जार्ज फरनेग्जीज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर जोकि मैंने मंत्री महोदय से पूछे थे वह उन्होंने नहीं दिये। एक प्रश्न मेरा यह था कि वह रेलवे मजदूर रिटायरमेंट तक अगर अपनी जगह पर काम करते और उस हालत में जो उन को तनख्वाह मिलती उतनी रकम बतौर मुआवजा देने के लिये क्या मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

वर्कमैन कम्पेन्सेशन ऐक्ट जब कोई नौकरी पर होता है और ऐक्सीडेंट होता है तब लागू होता है, या फिर अगर आप रेलवे इंजन धलंग से चलाते हैं, अगर बत्ती उस पर नहीं रहती, अगर गैंगमैन की कोई गलती न हो, निर्दोष व्यक्ति को अगर रात में घर जाने की सुविधा न हो, चूँकि वह कंजुषन मजदूर था, और इस तरह से उस की हत्या होती है, तो

यह ऐक्सीडेंट नहीं है, यह हत्या है, ऐसी अवस्था में वर्कमैन कम्पेन्सेशन ऐक्ट का सहारा न लेते हुए, अगर वह मजदूर रिटायर होने तक रेलवे में नौकरी करता तो उसकी जो तनख्वाह उस में होती क्या वह तनख्वाह आप उसके परिवार वालों को देंगे ? एक तो इसका उत्तर नहीं आया ।

दूसरी बात यह है कि मैंने स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया मंत्री जी को । यह लोग अपने घर जा रहे थे । उन के लिये रात में तीन बजे घर जाने को गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी और उन को चलकर घर जाना पड़ा । जो आप के अफसरों की गलती है उसको दुरुस्त करने के लिये और सारे मामले की जाँच करने के लिये मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री० राम सुभग सिंह : इस के बारे में मैं पहले बतला चुका हूँ कि उन की क्या सहायता की जायेगी । अगर किसी की छुट्टी होती है तो उस के घर जाने की जो व्यवस्था होती है, उस के अनुसार प्रबंध होता है । उस के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं की जाती ।

12.43 hrs.

RE : PUBLICATION OF WRONG PHOTOGRAPH OF THE SPEAKER IN A NEWSPAPER

श्री प्रेमचन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : मेरा नाम किसीने गुरदयाल सिंह ढिल्लों की जगह गुरबख्शा सिंह ढिल्लो कर दिया । कोई बात नहीं है । वह भी मेरा कोई भाई ही होगा । (व्यवधान)

श्री जार्ज फरनेग्जीज (बम्बई दक्षिण) : आप की तस्वीर गलत आई है । "हिन्दू" डेली ने किसी दूसरे की तस्वीर छाप दी है । किसी बूढ़े की तस्वीर छाप दी । (व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो तस्वीर छपी थी वह श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर की तस्वीर थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अज्ञ कर्तृ कि श्री फरनेंजी ने मेरी तस्वीर दिखाई। वह तस्वीर कहीं मद्रास की तरफ छपी है। वहां क्या पता है कि कौन है गुरदयाल सिंह दिल्ली और कौन नहीं। उन्होंने किसी गुरदयाल सिंह दिल्ली, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ग्राफ पुलिस, की तस्वीर छाप दी। श्री प्रेमचन्द वर्मा कहते हैं कि यह कौन गुरबक्श सिंह दिल्ली है। उस ने कहा कि मेरा नाम अखबार में छपा है, मैं स्वीकार हो गया। सब से ज्यादा फिक्र तो मेरी बीबी को होनी चाहिये कि यह बूढ़ा आदमी कहां से आ गया। जब उस को फिक्र होगी तब मैं देखूंगा कि गुरदयाल सिंह दिल्ली कौन है।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : यह प्रकले आपके नाम का मामला नहीं है। यह लोक सभा का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला तो मेरा है आप अब बैठ जाइये।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : यह लोक सभा का मामला है। इसमें लिखा है लोक सभा एक पार्टी है। अगर प्रेस में इस तरह से काम चला तो ठीक नहीं होगा। प्रेस की जिम्मेदारी है, नहीं तो लोक सभा का जो नाम है वह नहीं रह सकता। आप मुझ को एक मिनट का टाइम दीजिये। मैं सिर्फ एक मैसेज पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया। इस को खत्म कीजिये। माननीय सदस्य को उस से भी ज्यादा फिक्र है जिस को होना चाहिये।

12.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of Tariff Commission on Catguts and Annual Report of Development Council for Automobiles etc.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL

DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : I beg to lay on the Table :

- (1) A copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951 :-
 - (i) (a) Report (1968) of the Tariff Commission on the price structure of Catguts.
 - (b) Government Resolution No. LEI (A)—16(2)/68 dated the 16th July, 1969 on the above Report.
- (ii) A statement showing reasons why the documents mentioned at (i) above could not be laid on the Table within the period prescribed in sub-section (2) of section 16 of the said Act. [Placed in Library. See No. LT—1630/69].

- (2) A copy of the Annual Report of the Development Council for Automobiles, automobiles Ancillary Industries, Transport Vehicle Industries, Tractors, Earth-Moving Equipment and Internal Combustion Engines, for the year 1968-69, under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [Placed in Library. See No. LT—1631/69].

Judgment in the case of Shri Tej Kiran and others vs Shri N. Sanjiva Reddy and others

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : I beg to lay on the Table a copy of the judgment delivered by the full Bench of the High Court of Delhi at New Delhi on the 4th August, 1969, in the case of Shri Tej Kiran Jain and others versus Shri N. Sanjiva Reddy and others (I. A. 1194 of 1969-O. S. No. 228 of 1969). [Placed in Library. See No. LT—1632/69].

Heavy Engineering Corporation—Government Review and Annual Report

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under